





इसमें चर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जामा-भ-२७  
अर्थात् सेने से निरंतर कायाया जाते।

चाली का चर यह पेडा सेने पर  
वर्ष प्रतिवर्ष किया गया एवं जमिंदार संपत्ति अधिकारी  
को प्रत्येक दिया गया। प्रतिवर्षीय जमिंदार को ३०० रुप  
आपे एवं जमिंदार दावा पेडा सेने रूपे जमिंदार दावा  
के विवेक कथन से संदिग्ध किया कि इमि खसम-  
३३८ व ३४० गुम जिमोद ही ३ बीघा १४ आंश की  
इतिहासी बीजा के नाम की जिल्ले १/२ हिस्से पर चाली  
व १/२ हिस्से पर प्रतिवर्षीय कादिन है तथा कारत करते  
है। इमि खसम-३३९ में ३ बीघा १४ आंश गुम जिमोद  
सुरदा उर केसरा माली की थी जो अमरवत उचितकी  
ने कालू की मृत्यु पर चाली जमिंदार विपरीत  
दि० ३-११-४० रुप की थी जो उसी अकेले की खसमारी  
की है। जिस पर उप के वस्त से अमरवत अकेला  
कादिन है अन्य कोई इमि गुम जिमोद की इतिहासी  
के कठे कारत में नहीं है। जमिंदार में कभी कोई  
इमि चाली व कालू मृतक ने रुप नहीं की। इमि वरिष्ठ  
खसम स० २ व ३ चाली व इतिहासी की समुह है जिस  
पर दोने पर समुह उप से कादिन है कारत कलेमें  
चाली की निरंतर खराब हो रही है। वह प्रतिवर्षीय के  
आपे हिस्से की इमि से प्रतिवर्षीय को जमिंदार के  
कर कठना करना वास्तव है। जिसमें उसे कोई अधिकार  
नहीं है। जमरन खसम कले से प्रतिवर्षीय को मन्वयिक  
इति होगी इसलिये उसे इमि विवेधाणा वास्तु कला  
आवश्यक है। कि वह प्रतिवर्षीय से उनके १/४ हिस्से के  
कठे कारत में दिली उमर की दरतय प्रताजी न को।  
सत उत्तर चाली व ३ वस्तु कर निवेदन है कि चाली  
अधीकृत मिया जावे तथा चाली को इमि विवेधाणा  
से वास्तु कायाया जावे कि वह प्रतिवर्षीय को इमि  
कादिन खसम-३३२ व ३ गुम खसम के उनके १/४ हिस्से  
कठे कारत में दिली उमर की मजामत न करे न  
अन्य दिली से करीवें।

जमिंदार दावा पेडा सेने के पञ्चात  
अकला में तनगीयात कायम की जाकर शहादत उभय  
पक्षों की दूर की गई तथा कथन लमुल्य उभय  
पक्षों की चुनी गई।

दोनों कथन लकील चाली में कथन  
के बौद्ध व कालू दोने बीजा के पुत्र थे। जिन्होंने लकला  
५० वर्ष पूर्व अपनी इमियों का विभाजन का हिस्सा एवं  
जिसमें गुम खसम में विद्यत इमि कालू ने बौद्ध से

वादी के पिता का देहांत लगभग 17 साल पूर्व हो चुका।  
 वादी के पिता जीवनकाल में ही राज से करीब 40 लाख  
 पूर्व वादी एवं प्रतिवादीगण नं० 1 वा 3 के पिता स्व० काबू के  
 बीच विभाजन हो चुका था। परिवारिक विभाजन के मुख्य  
 प्रतिवादीगण नं० 1 वा 3 के पिता कालुराम का उपरोक्त स्व०  
 नं० का तत्पूर्व हि० वादी के हितों में भाग हुआ था।  
 तथा वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 वा 3 के पिता ने अमि रन  
 गुप्त जीमोद में शाहलारी में खरीदी जिसरी खातेदारी  
 प्रतिवादीगण नं० 1 वा 3 के पिता के नाम से कराई थी।  
 जिसरी खातेदारी प्रतिवादीगण नं० 1 वा 3 के पिता के नाम  
 से है। इस प्रकार वादी अपने पिता के हक में आई 1/4  
 हिस्से की अमि वरिधि खांड संख्या 1 प 2 पा 5 पर  
 काबिज चला आ रहा है वर्तमान में वादी ने अपने 1/4  
 हिस्से में वाजय गुवार की काश्त कर रखी है। उक्त अमि  
 की सिवार्ड चाह खबर 2245 से होती है जिसरी मरम्मत  
 वादी ने काफी खर्च करके कराई एवं इंजिन लगा रखा  
 है एवं रिहायश हेतु पुराना मकानात का निर्माण करा रखा  
 है। काबू का देहांत होने पर प्रतिवादीगण ने वाला वाला  
 बदलियति पूर्वक अमि वरिधि खांड सं० 1 प 2 पा 5 का  
 नामाकरण विरासत के आधार पर दिनांक 23-9-98 को  
 राजप अमिधान में राजप कर्मचारियों से राजप कर  
 अपने नाम दर्ज कराने की कार्यवाही कराये जाने की कार्य  
 जायकारी होने पर वादी ने तहसीलदार नीमनाथार को  
 आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु तहसीलदार ने 25  
 आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की। एवं नाम नं० 87  
 दिनांक 23-9-98 को तहसील कर लिया। जिसका प्रतिवादीगण  
 को कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं था। प्रतिवादीगण  
 का उक्त अमि पर कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादीगण न्य  
 बदलियति पूर्वक दिनांक 26-9-98 को वादी के कब्जे काउत  
 में मुजाम्मत करने पर आभास हो गये एवं अमि विक्रय  
 करने की धमकी दी जिस पर वादी ने खातेदारी वादी  
 के नाम कराने को कहा तो उम्माह से गये। प्रतिवादीगण  
 की उक्त बैजा एवं गैर मान्यी कार्यवाही से वादी की  
 सख्त तक तलफ एवं जेखारी है। इतना ~~उक्त~~ वाद  
 वादी जिरी फरमाया जावे अमि वरिधि खांड सं० 1 प 2 पा 5  
 पर में वादी के 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तदार  
 है एवं खातेदारी अपने नाम दर्ज करा लेने का अधिकार  
 प्रतिवादीगण को नहीं है तथागी विवेचना पावत फरमाया  
 जावे कि वादी के कब्जे काउत को अमि वरिधि खांड सं०  
 1 प 2 पा 5 पर के 1/4 हिस्से के कब्जे काउत से सिधी शक  
 की मुजाम्मत नहीं को न अमि को बेचना को न वादी  
 को बेदखल करे न कोई ऐसा कार्य को जिससे वादी के

उपबान

1. जैदुराम पुत्र जीजाराय जगति माली निवासी खादरा तहसील नीमकाधाना

- वादी -

पनाम

1. मन्खन पुत्र काहराम
2. हरीराम पुत्र काहराम
3. मोराराम उर्फ सोहन पुत्र काहराम
4. श्रीमती छोदी विधवा काहराम

सामस्त जगति मालीयान निवासीयान खादरा तहसील नीमकाधाना

प्रतिवादीगण

वाद पत्र आवत इस्तफरार एक  
एवं स्वामी निषेधाशा

- उपस्थित :-
1. श्री मनीराम जारखड एड० - पमील वादी.
  2. श्री कैदारनाथ गुटता एड० वकील प्रतिवादीगण.

निर्णय

दिनांक 26-9-06

सक्षेप में वादी का वाद पत्र इस प्रकार है कि  
 ग्राम ख.न० 2242 एवं 2243 तन ग्राम खादरा में  
 स्थित है जिसकी स्वामिदारी दीना पुत्र माना, हीरा पुत्र  
 नरसा जगति माली निवासी खादरा राहिन सोकर सह-  
 कारी ग्राम विहास बैंक सीमाधीपुर हि० 1/2 मुर्हीन बीजा  
 पुत्र फल्ला, माछा पुत्र गुमाना हि० 1/2 नोम माली सा०  
 देह दर्ज हैं। ग्राम ख.न० 2228, 2229, 2230, 2231, 2232,  
 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240,  
 2241, 2244, 2245, 2246 कुल रकबा 4.79 है तन ग्राम  
 खादरा तहसील नीमकाधाना में स्थित है जिसकी स्वामिदारी  
 दीना पुत्र माना, हीरा पुत्र नरसा नोम माली सा० देह हि  
 करार राहिन सोकर सहकारी ग्राम विहास बैंक लि०  
 श्रीमाधीपुर मुर्हीन हि० 1/2 बीजा पुत्र फल्ला, माछा पुत्र  
 गुमाना हि० 1/2 नोम माली सा० देह हि० करार है।

राजनामा की लिखावट की जोरों डाले वेग ही जो अनरजिस्टर्ड है वह उभाठित भी नहीं है। केवल मोलिकु साधु के आधार पर अखाते वाली अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इस प्रकार वाली अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वाली साबित नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है। पचास दिनी मूर्तीव हीं।

त्रिदिवि खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/1/18

(राजेंद्र सिंह राठौर)

जयसिंह अग्रवाल  
कीर्ति अग्रवाल (कीर्ति)

